सत्यमेव जयते

नवीन कुमार

CHIEF SECRETARY
GOVT. OF BIHAR
मुख्य सचिव, बिहार सरकार
Main Secretariat, Patna-800015
मुख्य सचिवालय, पटना-800015
Tel : 0612-2215804
Fax : 0612-2217085

पत्रांक../
दिनांक मार्च, 2012

सेवा में,

निर्वाचित

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी अनुमण्डल पदाधिकारी,
संबंधित गोशाला के पदेन अध्यक्ष।

विषय– राज्य स्थित गौशालाओं की परिसम्पतियों को अतिक्रमण/अवैध दखल (अनधिकृत कब्जा) से मुक्त कराने के संबंध में।

महोदय,

बिहार राज्य में विभिन्न जिलों में 86 (छियासी) गौशालाएँ अवस्थित हैं। विभिन्न माध्यमों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं कि अनेकों गौशालाओं की परिसम्पतियों (भूमि, मकान इत्यादि) पर अतिक्रमण एवं अनधिकृत कब्जा है। इस संदर्भ में बिहार विधान सभा में एक प्रश्न के उत्तर के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री ने राज्य में अवस्थित सभी गौशालाओं के परिसम्पतियों पर से अतिक्रमण तथा अनधिकृत कब्जा से मुक्त कराने का आश्वासन दिया है।

2. इन गौशालाओं से संबंधित परिसम्पतियाँ/भूमि सरकारी परिसम्पति के अन्तर्गत नहीं आती है। इसलिए गौशालाओं के परिसम्पति पर से अचतिक्रमण तथा अनधिकृत दखल को हटाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अधिसूचित "बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम–2009" तथा इससे संबंधित नियमावली यथा "बिहार भूमि विवाद निराकरण नियमावली–2010" के अन्तर्गत सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जानी है।

3. अतः निदेश दिया जाता है कि सभी अनुमण्डल पदाधिकारी अपने क्षेत्र के अन्तर्गत अवस्थित गोशालाओं की परिसम्पति पर से अतिक्रमण/अनधिकृत दखल को हटाने के संबंध में उपर्युक्त अधिनियम एवं नियमावली के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए कृत कार्रवाई की सूचना जिला पदाधिकारी के माध्यम से सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार को उपलब्ध करायें।

इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(नवीन कुमार)
मुख्य सचिव।

ज्ञापांक 16-गोशाला/विविध-12–86 पटना–15, दिनांक 05/03/2012

प्रतिलिपि –सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/3/12

मुख्य सचिव।